भारत सरकार

जल शक्ति मंत्रालय

पेयजल एवं स्वच्छता विभाग

लोक सभा

अतारांकित प्रश्न सं. 5403

दिनांक 25.07.2019 को उत्तर दिए जाने के लिए

पहाड़ी क्षेत्रों में पानी की कमी

5403. श्री तीरथ सिंह रावतः

क्या जल शक्ति मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) क्या विशेषकर उत्तराखंड के पहाड़ी जिलों के गांवों, यथा पौड़ी, चमोली, रूद्रप्रयाग, गढ़वाल के निवासी पेयजल की कमी की समस्या का सामना कर रहे हैं, क्योंकि इन क्षेत्रों में पानी का स्तर बहुत कम है तथा वे अपने गांवों से पलायन करने के लिए मजबूर हैं और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ख) क्या सरकार ने इन क्षेत्रों के प्राकृतिक संसाधनों और नदियों के जल को शुद्ध करके तथा उसका उद्वहन करके इन गांवों को पर्याप्त जलापूर्ति सुनिश्चित करने के लिए कोई ठोस नीति/स्थाई कार्ययोजना तैयार की है/तैयार की जा रही है; और

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

उत्तर

राज्य मंत्री, जल शक्ति मंत्रालय

(श्री रतन लाल कटारिया)

(क) उत्तराखंड राज्य सरकार द्वारा दी गई सूचना के अनुसार, राज्य में कुल 39,311 बसावटें हैं। दिनांक 22.07.2019 की स्थिति के अनुसार इनमें से 23,156 बसावटें पूर्ण रूप से कवर हैं (अर्थात् उनमें 40 लीटर प्रति व्यक्ति प्रति दिन (एलपीसीडी) से अधिक स्वच्छ पेयजल प्राप्त हो रहा है), 16146 बसावटें आंशिक रूप से कवर हैं (अर्थात् उनमें 40 एलपीसीडी से कम उपलब्धता है) और 9 बसावटें गुणवत्ता प्रभावित हैं (अर्थात उनमें असुरक्षित स्रोतों से पेयजल प्राप्त हो रहा है)। पौड़ी, चमौली, रूद्रप्रयाग और टिहरी गढ़वाल, जहाँ 40 एलपीसीडी से कम जल प्राप्त हो रहा है, जलापूर्ति की स्थिति निम्नानुसार है:-

क्र. सं.	जिले	कुल बसावट	आंशिक रूप से कवर बसावटें
1	पौड़ी	4727	2973
2	चमौली	3162	1491
3	रूद्रप्रयाग	1674	742
4	टिहरी गढ़वाल	5692	4280

उत्तराखंड राज्य सरकार ने यह भी कहा है कि जलापूर्ति की कम उपलब्धता के कारण गांवों/बसावटों से लोगों के स्थानांतरण होने के संबंध में उनके पास कोई सूचना नहीं है।

(ख) और (ग) एकीकृत प्रबंधन सूचना प्रणाली पर राज्यों द्वारा दी गई सूचना के अनुसार, 16146 आंशिक रूप से कवर की गई बसावटों में (दिनांक 01.04.2019 की स्थिति के अनुसार) विभिन्न कार्यक्रमों के मानदंडों के अनुसार कवरेज हेतु 2,726 बसावटों को कवर करते हुए विभिन्न जलापूर्ति स्कीमें चलाई गई हैं।